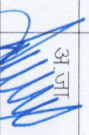


रोस्टर पंजिका

1. पदनाम: अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)
2. भर्ती की शीतीयां: पदोन्नति के माध्यम से
3. कॉर्डर में पदों की संख्या (अर्थात् कॉर्डर स्ट्रेन्थ): 06 पद
4. पदोन्नति का प्रावधित प्रतिशत: अ.ज.जा: पद, अ.जा: पद

अ.जा.	पूर्व के वर्षों से अग्रोषित आरक्षण (बैकलॉग)		भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दू संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा. / अ.ज.जा. / पि. व. / आ.क.व. के लिए आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा. / अ.ज.जा. / पि.व. / आ. क.व है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अग्रोषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
	अ.जा.	अ.ज.जा.						अज.	अ.ज. जा.		
1	—	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	—	—	2008-09	1	UR	श्री गिरिराज सिंह हाड़ा	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2010-11	2	UR	श्री कमल किशोर शर्मा	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2010-11	3	UR	श्री प्रदीप नैथानी	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2013-14	4	UR	श्री सुनील कुमार गोयल	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2016-17	5	UR	श्री अनिल सिधल	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2016-17	6	UR	श्री मनोज कुमार सोनी	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2016-17	7	SC	डॉ० हेमन्त कुमार शर्मा	नहीं	—	—		समान्य
—	—	—	2016-17	8	UR	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा	अ.ज.जा	—	—		अ.ज.जा
—	—	—	2017-18	9	ST	स्व० श्री मदन मोहन महावर	अ.जा	—	—		अ.जा


 अतिरिक्त निदेशक
 राजनीय निकाय विभाग
 राज., जयपुर

—	—	2017-18	1	UR	श्री अरूण व्यास	नही	—	—		समान्य
—	—	2017-18	2	UR	श्री प्रदीप कुमार गर्ग	नही	—	—		समान्य
—	—	2017-18	3	UR	श्री राजीव गर्ग	नही	—	—		समान्य
—	—	2018-19	4	UR	श्री श्रवण कुमार वर्मा	अ.जा.	—	—		अ.जा.
—	—	2018-19	5	UR	श्री नरेन्द्र अजमेरा	नही	—	—		समान्य
—	—	2019-20	6	UR	मुकेश चन्द गुप्ता	नही	—	—		समान्य

नोट: विभागीय अधिसूचना दिनांक 06.11.2019 एवं 18.06.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पदों का समान्यीकरण किया गया था अर्थात् अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यान्त्रिकी) की समेकित वरिष्ठता सूची से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया था। किन्तु विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.07.2021 द्वारा राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा नियमों में मुख्य अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यान्त्रिकी) एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यान्त्रिकी) के संवर्गवार पृथक पृथक पदों का प्रावधान किया गया है।

अतिरिक्त निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग
राज. जयपुर